

पत्र संख्या : 7ब/4700 यो० जल सं०-01/2013

304

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्ण रेखा परियोजना/

मुख्य अभियंता, चाण्डल/ ईचा-गालूडीह स्वर्ण रेखा परियोजना;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 30-3-14

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोगना, उप शीर्ष-10-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी.(अति. केन्द्रीय अनुदान), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796100545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य, / 796 - जन जातीय क्षेत्रिय उपयोगना,	10-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी.(अति. केन्द्रीय अनुदान) / 05- निर्माण, 45 - मुख्य निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796100545	795.00

आवंटित राशि - ₹ सात करोड पन्चानबे लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध रु. 80000.00 लाख (आठ सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति; सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

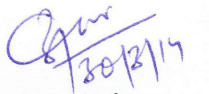
304

राँची, दिनांक :-

30-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/चाण्डिल/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशिला/गालूडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

304

राँची, दिनांक :-

30-3-14

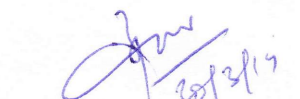
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 304

दिनांक 20-3-19

का अनुलग्नक परिशिष्ट-1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्रिय उपयोगना

उप शीर्ष-10-स्वर्ण रेखा परियोजना ए.आई.बी.पी.(अति. केन्द्रीय अनुदान),

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080796110545

बजट उपबंध वर्ष 2013-14 में रु० 80000.00 लाख (रु आठ सौ करोड़) मात्र (राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	अतिरिक्त आवंटित राशि *	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-5, डिमना जमशेदपुर	चाण्डिल / ईचा गालूडीह	सुवर्णरेखा परियोजना	90.00	केन्द्रीय भण्डार एवं शिखिर प्रमंडल, चाण्डिल के कार्यों के लिए
2	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-12, मानगो जमशेदपुर			500.00	
3	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-10, घाटशिला			205.00	
योग				795.00	

आवंटित राशि : ₹ सात करोड पन्चानबे लाख मात्र।

* अतिरिक्त आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना द्वारा पूर्व में दिये गये आवंटन के अतिरिक्त।

(ऑंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव